

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.4(ई) एम-1527/2013/ अलेसे-III/ 5479

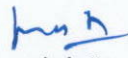
दिनांक :- 02/06/2020

कार्यालय आदेश

वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृती/सहमति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 12.09.2019 के क्रम में विभागीय आदेश सं. 469/2019-20 दिनांक 13.09.2019 के अनुसार श्री मदन लाल मीणा को लेखाकार कार्यालय अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड द्वितीय, उदयपुर का स्थानान्तरण राज्यहित में कार्यालय अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर के पद पर श्री लालसिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के स्थान पर किया गया था। उक्त आदेश की पालना में श्री मीणा द्वारा अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर के कार्यालय में दिनांक 16.09.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री मीणा के अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर कार्यालय में कार्यग्रहण करने के पश्चात् श्री लालसिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II द्वारा विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया, जिस कारण उन्हें विभागीय आदेश संख्या 807-12 दिनांक 25.11.2019 के अनुसार वापस कार्यालय अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर में कार्यग्रहण करवाना पड़ा। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण श्री लालसिंह के द्वारा पुनः दिनांक 27.11.2019 को अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर में कार्यग्रहण करने के कारण श्री मदन लाल मीणा को माह दिसम्बर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

अतः श्री मदन लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार को माह दिसम्बर 2019 से अग्रिम आदेशों तक तहसीलदार श्रीमाधोपुर, सीकर के कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन आहरण कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) एम-1527/2013/ अलेसे-III/ 5479

दिनांक :- 02/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, सीकर।
3. अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर।
4. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. श्री मदन लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, अधिशाषी अभियंता PHED नगर खण्ड, सीकर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)